261 27 खरीद, उपयोग, अधिकार एवं सीपीएसई में स्टाफ कार से सम्बन्धित अन्य निर्देश।

अधोहस्ताक्षरित को निर्देशित किया जाता है कि वह सीपीएसई के बोर्ड स्तर के कार्यकारियों द्वारा स्टाफ कार के उपयोग से सम्बन्धित डीपीई का.ज्ञा., दिनांकः 26.03.1999 का अवलोकन करें। उपरोक्त ओ. एम. के जारी होने के बाद विभिन्न परिवर्तन हुए हैं जिसमें सम्मिलित है–(i) मुक्त एवं वैश्विक अर्थतंत्र, (ii) व्ययसाध्य, ईंधन कार्यकुशलता एवं पर्यावरणीय मित्रवत् वाहन की सामान्य उपलब्धता (iii) सीपीएसई में 2007 के वेतन संशोधन का लागू होना और (iv) वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी द्वारा स्टाफ कार के उपयोग से सम्बन्धित भारत सरकार की उन्मुक्त नीति। इस विभाग ने सीपीएसई में अधिकारियों को उपलब्ध कराए गये वाहन के प्रकरण पर स्पष्टीकरण/सूचना माँगते हुए कई संदर्भों को प्राप्त किया है। सीपीएसई स्टॉफ कार के उपयोग के लिए निर्देशों का बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ तालमेल करने हेतु, निर्देशों की समीक्षा की गई है जैसा कि दिनांकः 26.03.1999 के डीपीई का.ज्ञा. में निहित है और इस पर उपयुक्त सोचविचार करने के उपरांत, इसे तुरंत प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है।

(क) स्टाफ कार के रूप में उपयोग के लिए कारों के प्रकारः सीपीएसई भारत में निर्मित कारों के आधुनिकतम मॉडल (एसी/नॉन–एसी) को; एसयूवी/एमयूबी को छोड़कर, खरीद सकता है जो **2000 सीसी** से अधिक ना हो और स्टाफ कार के प्रयोजन के लिए खर्चीला नहीं है। खरीददारी के लिए चुने जाने वाले कारों का प्रकार उन कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि– सीपीएसई की सूची, रत्न का महत्व, अपनाये गये वेतन की श्रेणी, वित्तीय विवेक, स्थायित्व इत्यादि। वाहन ईंधन कार्यकुशलता, पर्यावरण मित्रवत, आदि होना चाहिए। गैर–वातानुकुलित गाड़ी/वाहनों को वातानुकुलित गाड़ियों में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। स्टाफ कार की नंबर प्लेट को शहर में प्रचलित मोटर वाहन नियमों का अनुसरण करते हुए बनाया जाना चाहिए। गाड़ी के अग्र भाग में 'स्टाफ कार' लिखा नंबर प्लेट प्रदर्शित होगा या पेंट होगा और पृष्ठ भाग में उस सीपीएसई का नाम लिखा होगा, जो उस गाड़ी का स्वामी होगा। पहले से उपलब्ध गाड़ियों के बदले में नयी गाड़ियों को खरीदने के लिए सम्बन्धित सीपीएसई के निदेशक मंडल का पूर्व अनुमोदन होना चाहिए और डीपीई द्वारा समय–समय पर जारी किए गये सादगी के उपाय के अनुकूल होना चाहिए।

(ख) गाड़ियों का स्वामित्वः कंपनी कार (एसी/नॉन–एसी) निदेशकों और सीपीएसई के एमडी/ सीएमडी को उपलब्ध कराया जाएगा। सीपीएसई के परियोजनाओं का नेतृत्व करने वाले कार्यकारी निदेशकों को भी कंपनी कार (एसी/नॉन–एसी) उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी के लिए एक एक्सीक्यूटिव की लागत का मूल्यांकन करते समय, उसे उपलब्ध कराए गये कार की लागत को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। एक्सीक्यूटिव की अवस्था/श्रेणी को, उसे उपलब्ध कराए गये गाड़ी के प्रकार को सुनिश्चित करने के लिए अपने ध्यान में रखा जा सकता है।

(ग) बिना आधिकारिक कार्य के यात्रा करने पर सीलिंग्सः बिना ड्यूटी के स्टाफ कार द्वारा यात्रा करने के लिए केवल बोर्ड स्तर के कार्यकारियों को ही अनुमति दी गई है। बिना ड्यूटी के यात्रा करने पर अर्थदण्ड निम्नानुसार होगाः

शहर का नाम	**बिना ड्यूटी के यात्रा करने पर अर्थदण्ड**
i) दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, तथा हैदराबाद	1000 किमी. प्रति माह

ii)	अन्य सभी देश	750 किमी. प्रति माह

यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी के घर एवं कार्यालय के बीच की यात्रा को डयूटी पर रहने के रूप में माना जाएगा।

(घ) निजी उपयोग/बिना डयूटी के स्टाफ कार को चलाने के लिए वसूली करनाः निजी उपयोग/बिना डयूटी के स्टाफ कार (एसी/नॉन–एसी) को चलाने के लिए वसूली की राशि रू. 2000/– प्रति माह होगी।

(ङ) अनुपस्थिति अवकाश के समय स्टाफ कार का उपयोगः अधिकृत कार्यकारियों को स्टाफ कार के विशिष्ट उपयोग करने की सुविधा अवकाश पर रहने की समयावधि में उपलब्ध कराया जा सकता है; बशर्ते कि उक्त समयावधि में उसके द्वारा मुख्यालय में कार्यकाल बिताया गया हो। सम्बन्धित कार्यकारी के परिवार के सदस्यों को; जो लगातार एक पखवाड़े के लिए उक्त कार्यकारी के मुख्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, सम्बन्धित कार्यकारी को आवंटित स्टाफ कार की सुविधा को उपलब्ध कराया जा सकता है, यदि वे निजी उपयोग के लिए निर्दिष्ट दर एवं प्रणोदन दर चुकाने के लिए सहमत हो जाए।

(च) मुख्यालय को छोड़कर अन्य स्थानों पर स्टाफ कार को निजी उपयोग/बिना डयूटी के चलाने कर सुविधाः अधिकृत कार्यकारी को आवंटित किए गये स्टाफ कार के निजी उपयोग को साधारणतः मुख्यालय की सीमा के अंदर सीमित किया जाना चाहिए, जहाँ पर सम्बन्धित कार्यकारी को कार्य पर रखा गया है। यदि एक कार्यकारी (एक्सीक्यूटिव) स्टाफ कार को मुख्यालय के बाहर ले जाता है; जबकि वह अन्य स्थान पर अस्थायी रूप से काम करता है, ऐसी अवस्था में उसे स्टाफ कार के निजी उपयोग के लिए; उपरोक्त में संदर्भित निजी उपयोग/बिना डयूटी चलाने के लिए लागू होने वाले कुल अर्थदंड (सीलिंग्स) की सीमा के अंतर्गत अनुमति दिया जा सकता है।

(छ) बोर्ड स्तर से नीचे (जो परियोजना का नेतत्व नहीं कर रहा हो) के मुख्य अधिकारियों एवं अन्य कार्यकारियों के सम्बन्ध में प्रावधानः मुख्य अधिकारी वर्ग, उदाहरणस्वरूप, कार्यकारी निदेशक एवं साधारण प्रबंधक; घटक इकाईयों के इंचार्ज को स्टाफ कार केवल आधिकारिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है, जो सम्बन्धित सीपीएसई के किसी परियोजना का नेतृत्व नहीं कर रहा हो। तथापि, इन कार्यकारियों को स्टाफ कार के निजी उपयोग का अधिकार नहीं होगा। मुख्य अधिकारियों को छोड़कर, कार्यकारियों को परिवहन प्रतिपूर्ति या वाहन भत्ता अनुमोदित दरों पर दिया जा सकता है।

2. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वह पूर्ववर्ती को उनकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के नोटिस में लाएं।

(डीपीई का. ज्ञा. **सं. 2(23)/11–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जी एल–V**/13, **दिनांक 21 जनवरी, 2013)**

*****